भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †3092

दिनांक 22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

†3092. श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायत राज की सभी प्रणालियों में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रॉक्सी सदस्यों की समस्या से निपटने के प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पंचायत राज की निर्वाचित महिला सदस्यों को उनके घरेलू कार्यकलापों से बाहर आने और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायत राज की निर्वाचित महिला सदस्यों द्वारा अपने परिवार के निकटतम सदस्यों अथवा पति या पत्नी की ओर से इस व्यवस्था में हस्तक्षेप की शिकायत करने का कोई मामला सामने आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अधिक शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) से (घ) 'पंचायत', 'स्थानीय शासन' होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची का हिस्सा है। तदनुसार, प्रॉक्सी सदस्यों की समस्या सहित सभी पंचायत संबंधी मामले राज्यों के अधीन आते हैं और पंचायतों की महिला जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य निर्वहन में परिवार के सदस्यों अथवा पति या पत्नी की ओर से हस्तक्षेप करने की शिकायतों को निवारण के लिए राज्यों को भेजा जाता है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय पंचायत प्रणाली में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रॉक्सी सदस्यों की समस्या और महिला सदस्यों के परिवार के सदस्यों अथवा पति की ओर से हस्तक्षेप करने की प्रथा की समाप्ति चाहता है। अतएव इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा, समय समय पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की गई हैं। इसके साथ ही, यह मंत्रालय, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने से संबंधित ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है। इस मंत्रालय ने, ग्राम सभा बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करना, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाना, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन करना, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह की बुराई को दूर करना आदि के सम्बन्ध में राज्यों को परामर्शिकाएं भी जारी किया है।

****